

विचार-प्रवाह... पहले उम्मीदवारी, बाद में सदस्यता



मौसम

अधिकतम 15.0° न्यूनतम 6.0°

39243.39

2

मरियम नवाज ने कसा तंज

7

आप लोग चुप रहेंगे तो सब ठीक जाएगा

पेज थ्री

देहरादून, बुधवार, 16 फरवरी 2022



अगर जरूरी न हो तो यूक्रेन छोड़ दें

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

कीव। यूक्रेन पर रूस के हमले का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जमीन पर स्थिति को देखते हुए अमेरिका पहले ही कीव स्थित अपना दूतावास लवीव स्थानांतरित कर चुका है। अब यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भी एक एडवाइजरी जारी करते हुए भारतीय छात्रों से कहा है कि वे भारत लौट जाएं। साथ यूक्रेन में रहने वाले भारतीय नागरिक दूतावास के साथ संपर्क में रहें। कुछ रिपोर्ट दावा कर रही हैं कि पुतिन बिना किसी चेतावनी के यूक्रेन पर हमले का आदेश देंगे जो किसी भी वक्त हो सकता है।

कीव स्थित भारतीय दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि यूक्रेन में मौजूदा परिस्थितियों की अस्थिरता को देखते हुए यूक्रेन में रहने वाले भारतीय नागरिक, खासकर छात्र, जिनका रुकना

भारतीय दूतावास ने छात्रों और नागरिकों को दी सलाह

कई देश कर चुके हैं नागरिकों से अपील भारत से पहले अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे कई देश भी अपने नागरिकों से कीव से लौटने की सलाह कर चुके हैं। इसके अलावा कई देश कीव में अपने दूतावासों को बंद भी कर चुके हैं।

जरूरी नहीं है, वे अस्थायी रूप से देश छोड़ दें। भारतीय नागरिकों को भी सलाह दी जाती है कि गैर-जरूरी कारणों से यूक्रेन की यात्रा करने से बचें। भारतीय नागरिकों से विनती है कि दूतावास को यूक्रेन में अपनी स्थिति के बारे में जानकारी देते रहें ताकि जरूरत पड़ने पर दूतावास उन तक पहुंचने में सक्षम रहे। इसके



अलावा भारतीय नागरिकों से यूक्रेन की बेवजह यात्रा ना करने की अपील भी की गई है। भारतीय दूतावास ने ये भी कहा कि देश के नागरिक वहां स्थित दूतावास को अपनी स्थिति के बारे में जानकारी देते रहें।

दूतावास का संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा: भारतीय दूतावास ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को सभी

यूक्रेन ने रूस के आगे झुकने से किया इनकार

यूक्रेन के विदेश मंत्री ने सोमवार रात को एक टवीट किया। उन्होंने अपनी टवीट में लिखा, यूक्रेन का नाटो में शामिल होने का रणनीतिक फैसला बदला नहीं है। यह हमारे संविधान और राष्ट्रीय विदेश नीति रणनीति में शामिल है, जिसका समर्थन यूक्रेन का बहुमत करता है। सदस्यता के मुद्दे पर फैसला लेना सिर्फ यूक्रेन और नाटो के तीस सहयोगियों पर निर्भर है। रूस की प्रमुख मांग है कि यूक्रेन नाटो में शामिल न हो, जिसे अमेरिका खारिज कर रहा है।

सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी रूसी की किलेबंदी: हाल ही में सामने आई कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि बीते 48 घंटों में यूक्रेन सीमा के निकट सैन्य गतिविधि बढ़ गई है। MaUar की हाई-रिजॉल्यूशन वाली तस्वीरें बीते 48 घंटों में ली गई हैं। इसमें बेलारूस, क्रीमिया और पश्चिमी रूस में बड़े पैमाने पर सैन्य जमावड़े को देखा जा सकता है।

अगले 24 घंटे बेहद अहम, भारतीय दूतावास भी सतर्क...

कीव। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का खतरा कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी दूतावास ने अपना पता बदल दिया। विशेषज्ञों कह रहे हैं कि रूस किसी भी वक्त बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकता है। वहीं यूक्रेन ने रूसी आक्रामकता के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की मानें तो अगले 24 घंटे देशवासियों के लिए बेहद अहम हैं। रूसी हमले को लेकर तमाम अटकलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेन्स्की ने सोमवार को एक फेसबुक पोस्ट शेयर की। उन्होंने इसमें साफ कर दिया कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। जेलेन्स्की ने लिखा, 16 फरवरी हमले का दिन होगा।

संक्षिप्त समाचार

अश्विनी कुमार ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) चंडीगढ़। पंजाब में विधानसभा चुनाव में गिनती के दिन बचे हैं। लेकिन सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है। पार्टी के सीनियर नेता और मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे अश्विनी कुमार ने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। जाने से पहले वे पार्टी को काफी कुछ सुना गए। लगभग 46 साल का नाता तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप में दम नहीं है।

अब नहीं दिखाई दे रहे चाचा-भतीजा: सीएम योगी एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) इटावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा में जनसभा में तंज कसते हुए कहा कि अब चाचा-भतीजे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सैफई खानदान का एक ही नारा है, सबका साथ और सैफई का विकास। उन्होंने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश पर निशाना साधा।

चारा घोटाला में लालू यादव दोषी करार

रांची होटवार जेल से रिमिस भेजे गए लालू यादव

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

रांची। चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में ट्रायल का सामना कर रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। आरके राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भागत को भी सीबीआई कोर्ट ने दोषी पाया है। वहीं इस मामले में 24 अभियुक्त बरी कर दिए गए हैं।

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए आज का दिन काफी बुरा साबित हुआ है। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले यानि डोरंडा ट्रेजरी से की गई सबसे बड़ी अवैध निकासी पर रांची की सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया है। कोर्ट से होटवार जेल भेजा गया जहां से करीब दो घंटे बाद रिमिस

लालू यादव को 21 को सुनाई जाएगी सजा

लालू यादव को 21 फरवरी को सीबीआई कोर्ट की ओर से आनलाइन सजा सुनाई जाएगी। वहीं अन्य ऐसे अभियुक्तों को भी कोर्ट ने आनलाइन सजा सुनाने की बात कही है। देखना यह होगा कि लालू यादव को कितने दिनों की सजा होती है।

रांची भेज दिया गया। इस सबसे बड़े मामले में रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। मामले में शुरुआत में 170 आरोपी थे, इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो गई। दीपेश चांडक और आरके दास समेत सात आरोपियों को सीबीआई ने गवाह बनाया। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 575 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई। बचाव पक्ष की ओर से 25 गवाह पेश किए गए हैं। **कई अभियुक्त कोर्ट नहीं पहुंचे, शाम तक हर हाल में आना ही होगा:** उधर, सीबीआई कोर्ट परिसर से यह महत्वपूर्ण खबर

लखीमपुर खीरी हिंसा में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा रिहा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के साथ देश की राजनीति को गरमा देने वाले लखीमपुर खीरी में तिकुनियां कांड के मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की करीब चार महीने के बाद जेल से रिहाई हो गई है। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से जमानत मिली है।

लखीमपुर खीरी के तिकुनियां में तीन अक्टूबर को उपद्रव के बाद भड़की हिंसा में चार किसानों तथा एक पत्रकार सहित आठ लोगों की मौत के मामले में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टैनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को मुख्य आरोपित बनाया गया। एसआईटी ने आशीष मिश्रा को आठ लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपित बनाकर दस अक्टूबर को जेल भेज दिया था। आशीष मिश्रा के वकील अवधेश सिंह ने मीडिया को बताया कि आज आशीष मिश्रा मोनू की जेल से रिहाई हो गई है। इस दौरान उनके शहर से बाहर जाने पर

जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से जमानत मिली

कोई पाबंदी नहीं होगी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को एसआईटी की करीब चार हजार पन्नों की चार्जशीट में मुख्य आरोपित बनाया गया है।

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की आज रिहाई हो गई है। खीरी हिंसा के मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा मोनू की हाईकोर्ट से बीती 10 फरवरी को जमानत मंजूर हुई थी लेकिन, आदेश में धारा 302 व 120बी आईपीसी टाइट होने से छूट गया था। इसके बाद बीती 11 फरवरी शुक्रवार को हाईकोर्ट में संशोधन अर्जी दाखिल की गई थी।

सोमवार को हाईकोर्ट में संशोधन अर्जी मंजूर होने के बाद आशीष के अधिवक्ता ने यहां जिला जज की अदालत में जमानत धनराशि निश्चित करने के लिए अर्जी दी।

Are you Planning to make a Website or already have ?

If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development

All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding

1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation

A-Z Work to make a Website Engine Friendly. You tell us, we do it.

Gadoli Media Ventures

Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

एग्जाम से ज्यादा हिजाब जरूरी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

शिवमोगा। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। शिवमोगा और उडुपी के स्कूलों में कुछ छात्राओं को अलग कमरे में बैठने के लिए कहा गया, क्योंकि इन छात्राओं ने बिना हिजाब पहने परीक्षा देने से इनकार कर दिया था। एक छात्रा ने कहा, मैं हिजाब नहीं हटाऊंगी। उन्होंने हमें हिजाब

कर्नाटक के स्कूलों में कई छात्राओं ने छोड़ी परीक्षा

पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। वहीं, एक अन्य छात्रा ने कहा कि मैं ये स्कूल और अपनी परीक्षा छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे अपना हिजाब हटाने के लिए कहा गया था।

कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई से पहले

इस विवाद में नया मोड़ देखने को मिला जब याचिकाकर्ता छह मुस्लिम छात्राओं ने एक नई याचिका दायर की। इसमें कहा गया है कि कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं इसलिए इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और इसी लिए छात्राओं को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। अदालत इस मामले की सुनवाई बुधवार को भी करेगी।